"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 जून 2018—ज्येष्ठ 11, शक 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विवेक कुमार वर्मा, आत्मज श्री भागवत वर्मा, उम्र 21 वर्ष निवासी-10 बी. 2डी. टाईप, वार्ड नं.-3, सी. आई. एस. एफ. कालोनी, दल्लीराजहरा, तहसील-डौण्डी, जिला बालोद (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र, पहली से कक्षा नवमी के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में व अन्य शासकीय दस्तावेजों में मेरा सही व पूर्ण नाम विवेक कुमार वर्मा दर्ज है, किन्तु मेरे दसवीं, ग्यारहवीं व बारहवीं की अंकसूची, आधार कार्ड, पेनकार्ड में मेरा नाम विवेक कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपनी अंकसूची, आधार कार्ड व पेन कार्ड में मेरा सही व पूर्ण नाम विवेक कुमार वर्मा दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे विवेक कुमार वर्मा आ. श्री भागवत वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
विवेक कुमार पिता-श्री भागवत वर्मा निवासी-10 बी. 2डी. टाईप, वार्ड नं.-3, सी. आई. एस. एफ. कालोनी, दल्लीराजहरा, तहसील-डौण्डी, जिला-बालोद (छ. ग.)	विवेक कुमार वर्मा पिता-श्री भागवत वर्मा निवासी-10 बी. 2डी. टाईप, वार्ड नं.-3, सी. आई. एस. एफ. कालोनी, दल्लीराजहरा, तहसील-डौण्डी, जिला-बालोद (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अंजली सुराना ध. प. श्री अजय सुराना, उम्र 42 वर्ष, निवासी–बक्शी मार्ग, खैरागढ़ तहसील खैरागढ़, जिला राजनांदगांव (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम अंजली आत्मजा उत्तमचंद मालू था, तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, शासकीय/अर्द्धशासकीय व अन्य अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 22-04-2002 को श्री अजय सुराना के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती अंजली सुराना रख ली हूं, तथा इस आशय के संबंध मे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती अंजली सुराना ध. प. श्री अजय सुराना के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
अंजली पिता–श्री उत्तमचंद मालू निवासी–गांधी चौक, महासमुंद, तह. व जिला–महासमुंद (छ. ग.)	श्रीमती अंजली सुराना पति–श्री अजय सुराना निवासी–बक्शी मार्ग, खैरागढ़ तहसील खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, देवेन्द्र कुमार डहरिया, आत्मज स्व. परस राम डहरिया, उम्र 34 वर्ष, निवासी–ई. डब्ल्यू.एस. 35, पद्मनाभपुर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे दसवीं बारहवीं और स्नातक की अंकसूची में मेरा नाम देवेन्द्र कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. जबकि मेरा पूर्ण नाम देवेन्द्र कुमार डहरिया है जो कि मेरे आधार कार्ड व पेन कार्ड में दर्ज है. मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में "डहरिया" उपनाम जोड़वाने के संबंध मे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे देवेन्द्र कुमार डहरिया आ. स्व. परस राम डहरिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
देवेन्द्र कुमार पिता–स्व. परस राम डहरिया निवासी–ई. डब्ल्यू.एस. 35, पद्मनाभपुर, दुर्ग, तह. व जिला–दुर्ग (छ. ग.)	देवेन्द्र कुमार डहरिया पिता–स्व. परस राम डहरिया निवासी–ई. डब्ल्यू.एस. 35, पद्मनाभपुर, दुर्ग, तह. व जिला–दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अतियार मुल्ला आत्मज मलिक मुल्ला, उम्र 53 वर्ष, जाति मुस्लिम, निवासी-नूरी मस्जिद के पास, केला बाड़ी, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड में मेरा सही व वास्तविक नाम अतियार मुल्ला आ. मलिक मुल्ला दर्ज है, किन्तु मेरे ड्रायविंग लायसेंस में मेरा नाम आशीष कुमार सरकार आ. मलिक कुमार सरकार दर्ज है, चूंकि आशीष कुमार मेरा घरेलू नाम है और मैं इस नाम से भी जाना, पहचाना जाता हूँ. मैं अपने समस्त दस्तावेजों में मेरा सही नाम अतियार मुल्ला आ. मलिक मुल्ला जोड़वाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे अतियार मुल्ला आ. मलिक मुल्ला के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

आशीष सरकार, आशीष कुमार,
आशीष कुमार सरकार
पिता-मलिक कुमार सरकार
निवासी-नूरी मस्जिद के पास,
केला बाड़ी, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

अतियार मुल्ला
पिता-मलिक मुल्ला
निवासी-नूरी मस्जिद के पास,
केला बाड़ी, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती संध्या देवांगन ध. प. श्री रवीश देवांगन, उम्र 32 वर्ष, जाति कोष्टा, निवासी-म. नं.-166, वार्ड नं.-6, बनिया पारा दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरी पुत्री कु. नयासा देवांगन का यह नाम प्रचलन में व जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है. मैं अपनी पुत्री का पूर्व नाम परिवर्तित कर नया नाम कुमारी निर्वाना देवांगन रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मेरी पुत्री को कु. निर्वाना देवांगन आ. श्री रवीश देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कु. नयासा देवांगन
पिता-श्री रवीश देवांगन
निवासी-म. नं.-166, वार्ड नं.-6,
बनिया पारा दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

कु. निर्वाना देवांगन
पिता-श्री रवीश देवांगन
निवासी-म. नं.-166, वार्ड नं.-6,
बनिया पारा दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं कबीरधाम (छ. ग.)

कबीरधाम, दिनांक 30 दिसम्बर 2017

क्रमांक/उपंक/परि./2017/1856.—आदर्श दुग्ध उत्पादक समिति मर्या. रानीदरहा प. क्र. 45 विकासखंड बोडला जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षो में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार व उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु प्राधिकृत अधिकारी दिनांक 22-11-2017 एवं समिति के द्वारा आम सभा में दिनांक 14-10-2017 को प्रस्ताव पारित कर समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु निवेदन किया गया है अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26-10-2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदर्श दुग्ध उत्पादक समिति मर्या. रानीदरहा प. क्र. 45 को इस आदेश के दिनांक 30-12-2017 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री पी. सी. देवांगन सहकारी निरीक्षक आदर्श दुग्ध उत्पादक समिति मर्या. रानीदरहा पं. क्र. 45 का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 30-12-2017 को जारी किया गया है.

बी. के. ठाकुर
उप पंजीयक .

कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला-मुंगेली (छ. ग.)

मुंगेली, दिनांक 27 अप्रैल 2018

क्र. /परिसमापन/2018/313.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. चिल्फी पंजीयन क्रमांक 3883 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1605 दिनांक 11-12-2017 द्वारा दिया गया था. किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी के प्रतिवेदन में उपरोक्त समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित बताया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग का आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पंद्रह-1-ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं श्री सी. एस. जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मुंगेली दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. लोरमी पंजीयन क्रमांक 3883 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन. के. कश्यप सहकारिता विस्तार अधिकारी लोरमी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

मुंगेली, दिनांक 27 अप्रैल 2018

क्र. /परिसमापन/2018/314.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. कंतेली पंजीयन क्रमांक 3154 पंजीयन दिनांक 26-10-1985 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1603 दिनांक 11-12-2017 द्वारा दिया गया था. किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी के प्रतिवेदन में उपरोक्त समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित बताया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग का आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पंद्रह-1-ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं श्री सी. एस. जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मुंगेली दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. कंतेली पंजीयन क्रमांक 3154 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आई. एस. तंवर सहकारिता विस्तार अधिकारी मुंगेली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

मुंगेली, दिनांक 27 अप्रैल 2018

क्र. /परिसमापन/2018/315.—अमरदास आगर खदान कामगार सहकारी समिति मर्या. खर्राघाट पंजीयन क्रमांक 284 पंजीयन दिनांक 08-03-2010 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1602 दिनांक 11-12-2017 द्वारा दिया गया था. किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी के प्रतिवेदन में उपरोक्त समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित बताया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग का आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पंद्रह-1-ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं श्री सी. एस. जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मुंगेली अमरदास आगर खदान कामगार सहकारी समिति मर्या. खर्राघाट पंजीयन क्रमांक 284 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आई. एस. तंवर सहकारिता विस्तार अधिकारी मुंगेली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

मुंगेली, दिनांक 27 अप्रैल 2018

क्र. /परिसमापन/2018/316.— खदान कामगार सहकारी समिति मर्या. खर्राघाट पंजीयन क्रमांक 3900 पंजीयन दिनांक 07-07-1998 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1601 दिनांक 11-12-2017 द्वारा दिया गया था. किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी के प्रतिवेदन में उपरोक्त समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित बताया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग का आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पंद्रह-1-ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं श्री सी. एस. जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मुंगेली खदान कामगार सहकारी समिति मर्या. खर्राघाट पंजीयन क्रमांक 3900 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आई. एस. तंवर सहकारिता विस्तार अधिकारी मुंगेली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

मुंगेली, दिनांक 27 अप्रैल 2018

क्र. /परिसमापन/2018/317.— गुरू महिमा बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मानपुर पंजीयन क्रमांक 06 पंजीयन दिनांक 20-01-2014 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1600 दिनांक 11-12-2017 द्वारा दिया गया था. किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी के प्रतिवेदन में उपरोक्त समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित बताया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग का आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पंद्रह-1-ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं श्री सी. एस. जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मुंगेली गुरू महिमा बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मानपुर पंजीयन क्रमांक 06 को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आई. एस. तंवर सहकारिता विस्तार अधिकारी मुंगेली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

मुंगेली, दिनांक 27 अप्रैल 2018

क्र. /परिसमापन/2018/318.— मां कर्मा कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या. लोरमी पंजीयन क्रमांक 303 पंजीयन दिनांक 20-08-2011 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1604 दिनांक 11-12-2017 द्वारा दिया गया था. किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी के प्रतिवेदन में उपरोक्त समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित बताया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग का आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पंद्रह-1-ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं श्री सी. एस. जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऍं मुंगेली मां कर्मा कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या. लोरमी पंजीयन क्रमांक 303 को परिसमापन में लाता हूॅं तथा श्री एन. के. कश्यप सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूॅं.

सी. एस. जायसवाल,
सहायक पंजीयक .

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं मर्यादित बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 7 मई 2018

क्रमांक/परि./2018/964.—छ. ग. सहकारी सोासयटी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावें मय लिखित प्रमाण 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेखों एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न के अभिलेख/सम्पत्ति आदि हो तो त्वरित परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पं. क्र. दिनांक (3)	परिसमापक (4)	स्थाान (5)
1.	प्रेस कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति बिलासपुर	257/31-3-08	श्री सी. पी. बाजपेयी व. स. नि.	कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर
2.	अधिवक्ता गृह निर्माण सहकारी समिति बिलासपुर	243/19-04-07	श्री सी. पी. बाजपेयी व. स. नि.	-------,,---------
3.	जय अंबे महिला बहु. सहकारी समिति मर्या. सिरगिट्टी	245/19-04-07	श्री सी. पी. बाजपेयी व. स. नि.	-------,,---------

सी. पी. बाजपेयी
परिसमापक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.